


## आदेश

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर घोषणा आशय की जाती है कि राजस्व ग्राम सुलताना भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 2.23 हेक्टर, हाल खसरा नम्बर 535 रकबा 1.05 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.28 हेक्टर में कुरड़ा पुत्र माला के स्थान कुरड़ा उर्फ नसीरुद्दीन भिश्ती पुत्र माले खां व महमूद खां पुत्र खलीलदीन के स्थान पर महमूद अली पुत्र लीलू खां उर्फ खलीलदीन वादी का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार चिड़ावा अन्य किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।



(डॉ० नरेश सोनी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

सत्यमेव जयते